परिशिष्ट - "अ"

[19/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 4225]

कार्यालय–आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक 947/एम.सी./24 दिनांक 08/02/24

आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार ऐसे शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थान/कार्यालय जहां 10 से अधिक महिलायें काम करती है, वहां उनके यौन उत्पीड़न को रोकने एवं संबंधितों को दण्डित किये जाने हेतु विशाखा गाईड लाईन के आलोक में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 286/एम.सी./2020 दिनांक 01/07/2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 329/एम.सी./2022 दिनांक 17.06.2022 के माध्यम से 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेशों में उल्लेखित निगम के कतिपय अधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य) का शासन आदेश के क्रम में अन्यत्र स्थानांतरण होने से उल्लेखित अधिनियम के निर्देश/प्रावधानानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध व निवारण) हेतु निगम स्तर की कार्यवाही हेतु विशाखा गाईड लाईन के आलोक में निम्नानुसार 04 सदस्यीय संशोधित समिति का गठन किया जाता है :–

1. सुश्री रक्षिता नागाईच, उपयंत्री – अध्यक्ष
2. सुश्री चंद्रिका पारगीर, सहायक लेखापाल – सचिव
3. श्रीमती सीता गिरजे, प्र. क्लर्क, स्वास्थ्य विभाग – सदस्य
4. श्री सनप्रीतसिंह नेगी, ह्यूमन मैट्रिक्स, एन.जी.ओ. – सदस्य

उपरोक्त गठित समिति द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 के आलोक में प्राप्त होने वाली शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अपने अभिमत के साथ तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्न :– अधिनियम की प्रति।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, इंदौर

पृ. क्रमांक 5729 to 5735 तक दिनांक 08/02/24

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक महापौर, नगर पालिक निगम, इंदौर की ओर मान. महापौर जी को अवगत कराने के क्रम में प्रेषित।
2. अपर आयुक्त (समस्त), नगर पालिक निगम, इंदौर
3. सचिव, नगर पालिक निगम, इंदौर
4. उपायुक्त/सहायक आयुक्त (समस्त), नगर पालिक निगम, इंदौर
5. अधीक्षण यंत्री/नगर शिल्पज्ञ/कार्यपालन यंत्री (समस्त), नगर पालिक निगम, इंदौर
6. समस्त विभाग प्रमुख/झोनल/स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, इंदौर
7. संबंधित श्री ______________________, नगर पालिक निगम, इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित।

(हर्षिका सिंह)
आयुक्त,
नगर पालिक निगम, इंदौर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग